



दिनांक 17.05.2024

प्रेस विज्ञप्ति 17/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सीतापुर/थाना थानगाँव

• 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 17.05.2024 को थाना थानगाँव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मियापुरवा चौराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त जुम्मन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना थानगाँव पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना थानगाँव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जुम्मन निवासी ग्राम सोनबरसा थाना थानगाँव जनपद सीतापुर।

जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई

• पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

• लूटी गयी मोटर साइकिल

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 16.05.2024 की रात्रि थाना डिबाई व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बदरपुर बम्बा की पुलिया के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के

कब्जे/निशादेही से लूटी गयी मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना डिबाई पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-दीपक उर्फ दीपू निवासी मोहल्ला भूपनगर नई बस्ती कस्बा व थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1-लूटी गयी मोटर साइकिल।

2-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खतौली

● पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी के 05 टावर सैल, 01 टावर बैटरी

● 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)

● 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक:17.05.2024 को थाना खतौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रतनपुरी से खतौली मार्ग पर हाईवे अण्डरपास के पास जंगल में बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त हासिर उर्फ शूटर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 05 टावर सैल, 01 टावर बैटरी, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खतौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हासिर उर्फ शूटर निवासी मोहल्ला शाह पीर गेट खत्ता रोड थाना कोतवाली जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—चोरी के 05 टावर सैल, 01 टावर बैटरी।

2—01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना हाईवे

- अवैध शस्त्र की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
 - 15 अवैध तमंचा 315 बोर
 - 02 जीवित कारतूस 315 बोर
- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक: 17.05.2024 को थाना हाईवे व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भरतपुर रोड बृज मार्बल्स की दुकान के पास से अवैध शस्त्र की तस्करी करने वाला अभियुक्त अजीम उर्फ गटुआ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 15 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस 315 बोर, चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद मथुरा, अलीगढ़ के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हाईवे पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजीम उर्फ गटुआ निवासी पत्थर वाली गली नम्बर—03 केला नगर थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

- 1—15 अवैध तमंचा 315 बोर।
- 2—02 जीवित कारतूस 315 बोर।
- 3—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

जनपद कौशाम्बी/थाना सराय अकिल

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार
- 09 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर
- 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर
- अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 16.05.2024 को थाना सराय अकिल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नन्दा का पुरवा जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्त राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 09 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सराय अकिल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेश कुमार निवासी चक गुरैनी थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी।

बरामदगी

1-09 निर्मित / अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2-02 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3-अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद बरेली / थाना मीरगंज

● 03 अभियुक्त गिरफ्तार

● लगभग 14 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 132 ग्राम अवैध स्मैक

● नगद रुपये, 03 मोबाइल फोन

● 03 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक: 17.05.2024 को थाना मीरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मीरगंज अण्डरपास के पास से 03 अभियुक्तों 1-आरिफ 2-नाजिम 3-आमिर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे / निशादेही से लगभग 14 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 132 ग्राम अवैध स्मैक, नगद रुपये, 03 मोबाइल फोन, 03 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना मीरगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-आरिफ निवासी दयूरिया अब्दुलागंज थाना मीरपुर जनपद बरेली।

2-नाजिम निवासी दयूरिया अब्दुलागंज थाना मीरपुर जनपद बरेली।

3-आमिर निवासी मीरखां बाबर नगर कस्बा व थाना मीरगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1-लगभग 14 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 132 ग्राम अवैध स्मैक।

2-नगद रुपये, 03 मोबाइल फोन।

3-03 मोटर साइकिल।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना रोजा

● 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 11 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 किलो 400 ग्राम अवैध (फाइन क्वालिटी) अफीम

- 01 लाख 02 हजार 144 रुपये नगद

- 04 मोबाइल फोन बरामद

दिनांक: 17.05.2024 को थाना रोजा व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जमुका अन्डरपुल के पास से 03 अभियुक्तों 1-देवेन्द्र 2-ओमेन्द्र 3-पंकज कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 11 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 किलो 400 ग्राम अवैध (फाइन क्वालिटी) अफीम, 01 लाख 02 हजार 144 रुपये नगद, 04 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रोजा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-देवेन्द्र निवासी फतेहगंज थाना वजीरगंज जनपद बदायूं।
- 2-ओमेन्द्र निवासी फतेह नगला थाना वजीरगंज जनपद बदायूं।
- 3-पंकज कुमार निवासी चक थाना मानपुर जनपद पलामू झारखण्ड।

बरामदगी

- 1-लगभग 11 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 किलो 400 ग्राम अवैध (फाइन क्वालिटी) अफीम।
- 2-01 लाख 02 हजार 144 रुपये नगद।
- 3-04 मोबाइल फोन।

- जनपद अमेठी/थाना संग्रामपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 33-33 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमेठी द्वारा थाना संग्रामपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/307/308/452/

323/325/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1-वीरकेश्वर 2-प्रदीप को सश्रम आजीवन कारावास व 33-33 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद बहराइच/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजकुमार को 20 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
